# न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 157/2018 निर्णय दिनांक :– 24.1.19

**उनवान**

श्योनारायण उर्फ किशोरमल पुत्र भौरया जाति ब्राहमण निवासी – ग्राम नैनूपुरा पटवार हल्का – राडोली तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राज.।

––वादी

**बनाम**

1. जगदीश
2. रामजीलाल
3. हजारीलाल
4. मदनलाल पुत्रान हरिनारायण
5. गोपाली पत्नी स्व. कन्हैयालाल
6. राकेश
7. विक्रम
8. विजय पुत्रान् कन्हैयालाल

समस्त जाति ब्राहमण समस्त निवासी ग्राम नैनूपुरा पटवार हल्का – राडोली तहसील – कोटखावदा जिला जयपुर राजस्थान।

9, राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटखावदा जयपुर राज.।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:36:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

## <u>वाद बाबत घोषणा दुरूस्ती बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज</u>

## <u>एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

वादी की ओर से वादपत्र निम्न प्रकार से पेश किया गया।

वादी ग्राम नैनूपुरा तहसील कोटखावदा का कृषि एवं मजदूरी पेशा व्यक्ति है। वादी एवं प्रतिवादीगण उपरोक्त पते पर निवास करते है। वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि ग्राम नैनूपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में खसरा नं, 65, रकबा 0.09 में हिस्सा 3/4 स्थित है जिसे वादपत्र में वादग्रस्त भूमि कहकर सम्बोधित किया गया है। वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में वादी काबिज खातेदार काश्तकार है एवं निरन्तर रूप से काबिज रहकर उपयोग उपभोग कर आबाद है एवं वादी के पूर्वज की मृत्यु होने पर निरन्तर रूप से विरासत का नामान्तकरण वादी के नाम खोला जा रहा है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई संबंध व सरोकार नही है। वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार वादीगणों के पूर्वज गरीब व्यक्ति थे। अतः उन्होने वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 65 को प्रतिवादीगणो के पूर्वज हरिनारायण पुत्र भैरूबक्स के बतौर रहन रख दी जिसे करीब 50 वर्ष से अधिक समय हो गया है एवं कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रहन रखी हुई भूमि के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 में एक व्यवस्था दी गई है जिसके अनुसार एक नियत समय निकल जाने के बाद वह भूमि स्वतः रहन मुक्त हो जावेगी एवं कानूनन तहसीलदार साहब लैण्ड रिकार्ड अधिकार के रहन मुक्त का नामान्तकरण खोला जाकर रहन मुक्त करेगा। परन्तु उक्त प्रकरण में राजस्व कर्मचारियों Signature Not Verified न तक रहन का अंकन चला आ रहा है, जब Digitally signed by Om Prakash Date: 2021.01.18 17:56:45 IST Reason: SelfAttested ...का चला आ रहा है। अतः रहन का अंकन हटाया जाना ... न्यायोचित है। रहन के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 43 में यह व्यवस्था दी गई है कि एक नियत समय बाद रहन युक्त भूमि स्वतः रहन मुक्त हो जाती है एवं उस पर अंकित रहन का अंकन लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा स्वतः हटाया जाना आवश्यक होता है परन्तु वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

भूमि के संबंध में राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही किया गया बल्कि मूल खातेदार के विरासत के नामान्तकरण तो कर्मचारियों द्वारा खोल दिये गये परन्तु रहन का विधि विरूद्ध रूप से जारी रहा है जिसे हटाया जाकर वादीगणो को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रतिवादीगणो का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध व सरोकार नही है, ना ही कभी रहा है। प्रतिवादीगणो के पूर्वजो को भूमि रहन रखने के पश्चात एवं नियत समय के बाद वादग्रस्त भूमि का कब्जा पुनः वादी के पूर्वजो को संभला दिया गया है एवं वर्तमान मे वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है परन्तु रहन का अंकन नहीं हटाया गया है जिसे हटाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः वादी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रहन का अंकन हटाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। वादी को वाद कारण दिनांक 30.05.2019 को तब उत्पन्न हुआ जब वादी ने तहसीलदार को रहन का नामान्तकरण खोलने हेतू एवं रहन का अंकन जमाबन्दी से हटाने हेतू आवेदन तहसीलदार कोटखावदा के समक्ष पेश किया गया जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की। तत्पश्चात तहसीलदार कोटखावदा ने एस.डी.ओ साहब से आदेश लाने हेतू कहा। इस प्रकार वादी को वादकारण उत्पन्न हुआ इसलिये वाद पत्र वादी द्वारा मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वादी प्रतिवादीगणो को पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वे वादग्रस्त भूमि का विक्रय नहीं करे। वादी को शांतिपूर्वक काबिज रह काश्त करने देंवे। वादी वादग्रस्त भूमि के अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने व रहन का अंकन धारा 43 आर.टी.एक्ट के नियमानुसार हटवाने के अधिकारी है। वादपत्र राज. का अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवधी अन्तर्गत प्रस्तुत है। वांदग्रस्त भूमि न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वादपत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान को प्राप्त है। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्कार घोषित किया जावे एवं वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में रहन का अकन मुताबिक धारा 43 आर.टी.

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

एक्ट के अनुसार हटाया जाकर रहन मुक्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि मे वादी को शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहने दे तथा किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे। अन्य अनुतोष जो मान्य न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान किया जावे।

दावा वकील वादी के द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया तो प्रतिवादीगण मय वकील हाजीर आये व वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया जो राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया, वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा इस प्रकार पेश किया गया कि :–

वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 65 रकबा 0.09 है0 में श्योनारायण वादी के हिस्से की भूमि पर से रहन का नोट हटाने से हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही हैं हम प्रतिवादीगण ही हरिनारायण पुत्र भैरूबक्श के वारिस है हमारे अलावा हरिनारायण का अन्य कोई वारिस नही है। इस प्रकार से हम प्रतिवादीगण एवं वादी आपस में राजी खुशी बिना किसी दबाव बिना किसी लोभ लालच के बिना किसी लेन देन के वादग्रस्त भूमि को रहनमुक्ति करवाने के लिये आपसी राजीनामा पेश कर रहे है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 65 रकबा 0.09 है0 ग्राम नैनूपुरा तहसील कोटखावदा में श्योनारायण के हिस्से की भूमि को रहन मुक्त करने का आदेश प्राप्त कर रहन का नोट हटवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। राजीनामा पेश होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(जयपुर)

पर बहस दावा पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो पक्षकारान वकील द्वारा दावा वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना जाहिर किया गया। पक्षकारान वकील की बहस पर गौर किया व दावा राजीनामा का परीक्षण किया गया तो वादग्रस्त भूमि वादी की कब्जे काश्त की भूमि है जिसका वादी निरन्तर उपयोग व उपभोग कर रहा है, प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध व सरोकार नही है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 65 को प्रतिवादीगण के पूर्वज हरिनारायण पुत्र भैरूबक्स बतौर रहन रख दी थी जिसे करीब 50 वर्ष हो गये, कानून का स्थापित सिद्धान्त है कि रहन रखी हुयी भूमि के लिये आरटी एक्ट धारा 43 के अनुसार एक नियत समय निकल जाने के बाद वह भूमि स्वतः रहन मुक्त हो जावेगी कानूनन तहसीलदार लेण्ड रिकार्ड अधिकार के रहन मुक्त का नामान्तकरण खोला जाकर रहन मुक्त करेंगा, किन्तु आज दिनांक तक रहन का अंकन चला आ रहा है। रहन के लिये आरटी एक्ट की धारा 1956 की धारा 43 मे यह व्यवस्था दी गयी कि एक नियत समय के बाद रहन मुक्त भूमि स्वतः रहन मुक्त हो जाती है व रहन का अंकन लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा स्वतः ही हटाया जाना आवश्यक होता है, लेकिन वादग्रस्त भूमि के संबंध में ऐसा नही होने से पक्षकारान क मध्य रहन हटाये जाने बाबत राजीनामा हो गया व [illegible] गया जो मुताबिक राजीनामा दावा वादी डिक्री किया जाना [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:45 IST
Reason: SelfAttested

दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर वादी को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 65 रकबा 0.09 हे0 में 3/4 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

है एवं वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकन रहन का अंकन धारा 43 आर टी एक्ट के अनुसार हटाया जाने के आदेश दिये जाकर वादग्रस्त भूमि रहन मुक्त की जाती है, व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में रहन का अंकन हटाया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:36:45 IST
Reason: SelfAttested